

प्ररूप- 3
भाग-1 संपत्ति का विवरण
(कृषि भूमि के अंतरण के संबंध में)

1. क्रेता/विक्रेता का नाम :.....
2. नगर/ग्राम का नाम जहां कि भूमि स्थित है :
3. नगर निगम/नगर पालिका/नगर पंचायत /सीमा के अंदर स्थित है/अथवा बाहर स्थित है :.....
4. सिंचित/असिंचित :.....
5. सिंचित/असिंचित होने की दशा में स्रोत जिससे सिंचित है (नहर, तालाब, नलकूप, कुआ आदि का विवरण) :
6. भूमि की किस्म एवं लगान :
7. क्षेत्रफल :
8. मुख्य सडक एवं निकटतम सडक से दूरी (निकटतम सडक की चौड़ाई सहित):
9. आसपास की भूमि का उपयोग (आवासिय, व्यावसायिक,व्यापारिक या अन्य) :
10. प्रचलित मास्टर प्लान में भूमि का उपयोग :
11. यदि भूमि पर वृक्ष/मकान आदि स्थित हो तो उसका विवरण :
12. प्रतिफल की रकम :

उक्त जानकारी मेरे सर्वोत्तम ज्ञान एवं विश्वास के अनुसार सही है । त्रुटि पाए जाने की स्थिति में मैं भारतीय दंड संहिता एवं भारतीय स्टाम्प अधिनियम के प्रावधानों के अनुसार दंड का भागी होऊंगा ।

स्थान :-

दिनांक :-

पक्षकार के हस्ताक्षर

भाग-2

उप पंजीयक द्वारा उक्त संपत्ति के बाजार मूल्य एवं प्राभार्य शुल्क आदि की संगणना

-
1. प्रचलित बाजार मूल्य के अनुसार मूल्य:
 2. बाजार मूल्य / प्रतिफल में से जो भी अधिक हो के आधार पर देय :
 1. स्टाम्प शुल्क की राशि :
 2. पंजीयन फीस की राशि :
 3. दस्तावेज लेखक अनुज्ञा नियमों के अधीन दस्तावेज लेखन के लिये निर्धारित फीस:.....

उप पंजीयक के हस्ताक्षर
(मुद्रा सहित)